SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिलाओं के विकास में श्रम कल्याण मंडल की भूमिका

देहुती बंछोर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
खालसा महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. पी. अग्रवाल, (Ph.D.) वाणिज्य विभाग
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, सेक्टर – 07, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
देहुती बंछोर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
खालसा महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. पी. अग्रवाल, (Ph.D.) वाणिज्य विभाग
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर, सेक्टर – 07, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/02/2021
Revised on : -----
Accepted on : 02/03/2021
Plagiarism : 02% on 23/02/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 4%

Date: Tuesday, February 23, 2021
Statistics: 53 words Plagiarized / 1288 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Þefgykvksa ds fodkl esa Je dY;k.k eaMy dh Hkwfedkþ ¼NRrhlx<+ jkT; dsfo'ks'k lanHkZ esa½ "kks/kdkj& 1- Je dY;k.k eaMy ds ek/;e ls efgyk Jfedksa ds fy. lkekftd lqj{kk ;kstukvksa dk lapkyu fd;k tkrk gS vkSj deZpkjh chek ;kstukvksa ds }kjk Jfedksa dks fpfdRlk] f'k{kk ,oa lkekftd fgr ykHk izkIr gksrk gSA 2- Je dY;k.k

foHkkx dh ;kstukvksa dk ykHk efgyk Jfed ysrs gS vkSj vius thou Lrj esa lq/kkj ykus dk iwjk iz;Ru djrs gSaA 3- Ekfgyk Jfedksa ds thou Je dY;k.k eaMy dh Hkwfedk cgqr vge gSA

शोध सार

श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन किया जाता है और कर्मचारी बीमा योजनाओं के द्वारा श्रमिकों को चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक हित लाभ प्राप्त होता है। श्रम कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ महिला श्रमिक लेते है और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। महिला श्रमिकों के जीवन में श्रम कल्याण मंडल की भूमिका बहुत अहम है। मंडल के द्वारा महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक उन्नति संभव हो पाया हैं। श्रम कल्याण मंडल के प्रयास से एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं के कारण श्रमिकों, मालिकों और सरकारों के बीच स्वस्थ संबंध का निर्माण संभव हो पाया है। मंडल द्वारा श्रमिकों के कार्य को मानवीय दशाएँ उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्य शब्द

श्रम कल्याण मंडल, महिला श्रमिक, विकास.

प्रस्तावना

श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हित एवं प्राद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता हैं। विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन करना श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशाएँ सुनिश्चित करना तथा प्रौद्यागिक विवादों का निवारण कर औद्यागिक शांति स्थापित करना श्रम विभाग का मुख्य दायित्व है। श्रम मंडल के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ संचालित किया जाता हैं और कर्मचारी बीमा योजनाओं से श्रमिकों के चिकित्सा हितलाभ

एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

इस मंडल के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। संबंधित विषय का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हमारा भारत देश एक विकासशील देश है, यहाँ विकास कार्य के राह में अनेकों उद्योग धंधे, व्यापार–व्यवसाय, औद्योगिक कार्यों की बढ़ोत्तरी हुई है और निरंतर होती रहेगी। अनेको श्रमिक अपने परिवारों की भरण पोषण हेतु ऐसे कार्यों में जुटे हुए हैं। अतः उनकी हितों की रक्षा, कार्यों की सुरक्षा, कार्य करने की नीति निर्धारण, समय स्तर, वेतन सुविधा, चिकित्सा, रहन–सहन आदि की देख–रेख आवश्यक है। जिससे हमारे देश में मानव संसाधन का सद्उपयोग हो सके तथा उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा सकें।

परिकल्पनाएँ

1. श्रम कल्याण विभाग के श्रम कल्याण योजनाओं से श्रमिकों की जीवन स्तर में सुधार होगा।
2. श्रम कल्याण विभाग के योजनाओं से महिला श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

उद्देश्य

श्रम कल्याण मंडल का महिलाओं के विकास सकारात्मक भूमिका का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. श्रम कल्याण विभाग के श्रम कल्याण योजनाओं से महिला श्रमिकों का जीवन स्तर में सुधार करना।
2. श्रम कल्याण विभाग के योजनाओं से महिला श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना।

श्रम कल्याण मंडल की योजनाएँ

श्रम कल्याण मंडल में महिला श्रमिकों के लिए संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैः

1. **राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना :** राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना में प्रदेश के तेरह हजार छः सौ बेटियों को मिली 27.28 करोड़ रू. आर्थिक सहायता बेटियों की शादी के लिए दिया गया है। यह सहायता वित्तीय वर्ष 2017–18 में दी गई है। योजना का संचालन श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 3741 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की प्रथम दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। योजना के अंतर्गत 20000/– रूपये प्रति विवाह सहायता राशि ऑनलाईन आवेदन करने पर देय होगी।
2. **भगनि प्रसूति सहायता योजना :** यह योजना 2010–11 से प्रारंभ हुई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम दो बच्चों के जन्म पर महिला श्रमिका को मातृत्व हितलाभ के रूप में दस हजार दिये जाते है। इस योजना के प्रारंभ से अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 1869 हितग्राहियों को लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या है।
   प्रावधान : पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति रूपये 10000/– दो किस्तों में क्रमशः महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् पाँच हजार रू. द्वितीय किस्त जन्म पश्चात् जन्म के 90 दिवस के भीतर आनर्लाइन आवेदन करने पर पाँच हजार रू. देय होगी। यह योजना केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए है। इसमें 2010–11 में 40, 2011–12 में 712, 2012–13 में 5800, 2013–40 में 8292, 2014–15 में 12025, 2018–19 में 6863 लाभांवित हुए है।
3. **मुख्यमंत्री सिलाई सहायता योजना :** यह योजना का 2010–11 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना प्रारंभ से कुल अब तक लगभग 80480 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
   प्रावधान : पंजीकृत महिला श्रमिक जिनकी आयु 36 से 60 वर्ष की आयु है एवं जिनके पास सिलाई मशीन में कौशल विकास का प्रमाण पत्र है, को एक नग सिलाई मशीन ऑनलाइन आवेदन करने पर देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में 2010–11 में 416, 2011–12 में 6661, 2012–13 में 32178, 2013–14 में 55017,

2014–15 में 2412, 2015–16 में 45, 2016–17 में 687, 2017–18 में 10766 एवं 2018–19 में 1817 हितग्राहियों को लाभ मिला है।

4. **निर्माण महिला मजदूरी स्व–सहायता योजना :** इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिये जाने एवं प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से 10 महिला श्रमिकों का एक स्व–सहायता समूह बनाने पर प्रत्येक समूह को 25000 रू ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जावेगा जो 3 वर्ष के भीतर मंडल को वापस किया जाना प्रावधानिक है। यह योजना वर्ष 2013–14 से प्रारंभ है।
5. **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :** इस योजना का आरंभ 01 जून 2016 को किया गया है। इसके तहत् पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष श्रमिक की पत्नि पात्र है। गैस चूल्हा एवं प्रथम बार भरा हुआ सिलेण्डर मंडल द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् अब सभी राशनकार्ड धारियों को फ्री एल.पी.जी. कनेक्शन मिलेगी।

आम चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश की गरीब जनता को एक और तोहफा उज्जवला योजना के तहत् मुफ्त में एल.पी.जी. गैस कलेक्शन दिया जायेगा। अब तक यह योजना केवल SECC-2011 डाटा में BPL सूची के तहत् आने वाले परिवारों के लिए लागू थी। पर अब उज्जवला के लाभार्थियों की सूची में राशनकार्ड धारक SC/ST/OBC प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी, वन में रहने वाले लोग, चाय बगीचों में काम करने वाले होगा और अन्य गरीब परिवार जो इस सूची में नहीं है, वो सभी शामिल है।

प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्य के संपादन के लिए आवश्यकतानुसार द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों और सामाजिक पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आँकड़े एकत्रित किये गए है।

योजनावार श्रम कल्याण विभाग की उपलब्धियाँ

(2010–11 से 2018–19)

क्र.	योजनाओं के नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना	6	201	992	5872	8953	14698	19760	20695	1600
2.	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	40	712	5480	8292	12025	14057	16882	9328	6863
3.	मुख्यमंत्री सिलाई सहायता योजना	415	6661	32178	55017	2412	45	687	1066	1817
4.	निर्माण महिला मजदूरी स्व–सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	–	–	–	–	–	–	0	34513	1498

(स्त्रोत : श्रम विभाग, दुर्ग, छत्तीसगढ़)

श्रम कल्याण मंडल द्वारा हितग्राहियों के आर्थिक, सामाजिक उत्थान हेतु वर्तमान में शासन द्वारा अनुमोदन उपरांत महिला श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की प्रभावी दिनाँक (1) राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना दिनाँक 04.03.2010 (2) भगिनि प्रसूति सहायता योजना दिनाँक 04.03.2010 (3) मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना दिनाँक 01.10.2010 (4) निर्माण महिला स्व–सहायता योजना दिनाँक 06.01.2014 (5) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 01.06.2016।

निष्कर्ष

आज के वैज्ञानिक युग में तरक्की का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानव संसाधन जो आज अहम् आवश्यक बन गया है। भारत देश विकासशील देश है। यहाँ विकास कार्य के राह में अनेको उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक कार्यों की बढ़ोत्तरी हुई और निरंतर होती रहेगी।

इस प्रकार छ.ग. श्रम विभाग द्वाराः

1. श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।
2. प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को उचित मजदूरी दरें प्राप्त है।
3. श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है तथा कार्य क्षेत्र में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।
4. वातावरण जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ स्वच्छता, वायु, पानी, प्रकाश का समुचित व्यवस्था किया जाता है।
5. मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप श्रमिकों का जीवन स्तर उच्च होता जा रहा हैं।
6. श्रमिक के कार्य की मानवीय दशाएँ उपलब्ध कराया जाता है।
7. श्रमिकों, मालिकों और सरकार के बीच स्वस्थ संबंध का निर्माण संभव हो पाया हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रशासकीय प्रतिवेदन
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17
3. समाचार पत्रिकाएँ
4. इंटरनेट वेबसाइट
5. www.cglabour.nic.in

****